बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक– 3449

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक– 19/5/2020

विषय – COVID–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु सम्प्रति लागू लॉकडाउन की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID–19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन के मद्देनजर राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध मे आपातकालीन प्रबंधन ग्रुप (CMG) की दिनांक– 19.05.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में 20.05.2020 से परिवहन हेतु निम्न व्यवस्था होगी:–

1. साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते कि उसमें मात्र एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी।

2. ऑटो रिक्शा एवं ई–रिक्शा का परिचालन जिला के अन्दर ODD (विषम अंक) एवं EVEN(सम अंक) रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर किया जा सकेगा। सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ODD नम्बर के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को EVEN नम्बर के वाहन चलेंगे। ऑटो रिक्शा एवं ई–रिक्शा में ड्राईवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

   जिस रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1,3,5,7 अथवा 9 होगा, उसे ODD (विषम) नम्बर कहा जाएगा। उसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0,2,4,6 अथवा 8 होगा उसे EVEN (सम) नम्बर कहा जाएगा।

3. टैक्सी, कैब, ओला, ऊबर आदि का परिचालन जिला के अन्दर किया जा सकेगा एवं उसमें ड्राईवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी।

4. टैक्सी, कैब, ओला, ऊबर आदि का जिला के बाहर अर्न्तजिला परिचालन जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जा सकेगा।

5. बाइक टैक्सी परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

6. जिले के अन्दर विभिन्न मार्गों पर ई–रिक्शा, ऑटो–रिक्शा, टैक्सी, आदि के किराया का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

7. Containment Zone की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे।

8. ऊपर वर्णित परिवहन के साधनों में ड्राईवर एवं यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

9. यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा कि संबंधित वाहनों की लगातार साफ–सफाई एवं Sanitisation की व्यवस्था ड्राईवर द्वारा की जाए।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

Sd/- 19/5

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3449 **पटना, दिनांक**–19/5/2020

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 19/5

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3449 **पटना, दिनांक**–19/5/2020

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 19/5

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।